



छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,
 ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारीडीह, शंकर नगर, रायपुर
 दूरभाष- 4065100, 101, 102, 103, 104 फैक्स - 2283594
 ई-मेल : fed_raipur@cgmfpfed.org वेब साइट : cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक संघ/लघु वनोपज/2012/I

दिनांक 31/01/2012

छत्तीसगढ़ में संग्रहित एवं गोदामीकृत लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के विक्रय हेतु

निविदा सूचना

प्राक्कथन

1. एन.डब्ल्यू.एफ.पी. मार्ट्स एवं अन्य स्थानों में भण्डारित लघु वनोपज/हर्बल उत्पाद के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों/विधिक कंपनियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

2. परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार के लिए निर्देश -

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट- I में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी। ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-I
(निबंधन एवं शर्तें)

अनुसूची
(लघुवनोपज/हर्बल
उत्पादकी लाट सूची)

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि -

इस सूचना के साथ संलग्न निविदा पत्र में दर्शित गोदामों में गोदामीकृत लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद का निविदा पत्र में दर्शाये लाटों के क्रय के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है।

परिशिष्ट-II
(निविदा पत्र)

परिशिष्ट-III
(निविदाकार करारनामा)

4. निविदा पत्र आदि -

(I) निविदाकार को निर्धारित निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट-II) में अपनी निविदा पूर्ण रूप से भरकर परिशिष्ट-III में दिये गये निविदाकार के करारनामा के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा संघ के वेबसाइट - www.cgmfpfed.org से डाऊन लोड किया जा सकता है। इसकी प्रति पृथक से किसी कार्यालय से उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।

5. निविदाओं का प्रस्तुतीकरण -

(I) सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा एक मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर निम्न विवरण एवं पता लिखा होगा, रखी जावेगी।

गोदामीकृत लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के क्रय करने हेतु निविदा।

निविदा खोलने की तिथि 28.02.2012

(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/लघु वनोपज/2012/- I दिनांक 31.01.2012)

प्रति,

प्रबंध संचालक,

जिला यूनियन

प्रेषक,

निविदाकार का नाम -

पता -

दूरभाष क्रमांक -.....

(II) निविदा पत्र अन्तर्धारित करने वाला लिफाफा छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर सम्युक्त अभिस्वीकृति प्राप्त करके दिया जा सकेगा या पावती पंजीकृत डाक द्वारा उनको इस प्रकार भेजा जा सकता है ताकि वह दिनांक 28.02.2012 को अपरान्ह 3.30 बजे तक जिला यूनियन कार्यालय में प्राप्त हो जावे। पृथक-पृथक मार्ट एवं अन्य स्थानों की सामग्री हेतु एक ही निविदा जिला यूनियन कार्यालय दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, दक्षिण सरगुजा, जगदलपुर एवं कांकेर में दी जावेगी। यदि निविदा उक्त जिला यूनियन के अतिरिक्त किसी अन्य जिला यूनियन कार्यालय में प्रस्तुत की जाती है तो, उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी निविदायें इस तिथि को प्राप्त एवं खोली जावेगी।

6. निविदाओं का खोला जाना -

जिला यूनियन में प्राप्त निविदायें दिनांक 28.02.2012 को 3.30 बजे से ऐसे निविदाकारों के समक्ष जो उपस्थित हो संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में खोली जावेगी, भले ही निविदाएं खोले जाने वाले दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया हो।

7. निविदा स्वीकृति की सूचना -

(I) सफल निविदाकार का प्रस्ताव प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर द्वारा तार एवं/अथवा पत्र जारी कर स्वीकार किया जावेगा।

8. देय राशि का भुगतान-

क्रेता लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के क्रय से संबंधित देय राशि का भुगतान परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 8 एवं 9 में दिए गये प्रवधानों के अनुसार होगा।

9. लघुवनोपज/हर्बल

उत्पादका परिदान/परिवहन -

देय राशि के भुगतान के उपरांत लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद का परिदान/परिवहन परिशिष्ट-I की शर्त क्रमांक 8 एवं 10 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

10. परिशिष्ट -

परिशिष्ट-I से III जिनका कि सन्दर्भ ऊपर दिया गया है । समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें ।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

12. यदि कोई क्रेता जिला यूनियन/संघ के विरुद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय जिला यूनियन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता अदालती कार्यवाही के कारण लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी ।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (ब्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007

परिशिष्ट- I

निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश जो

निविदा सूचना क्रमांक संघ/लघु वनोपज/2012/- I दिनांक 31.01.2012 के भाग है

निविदा के निबंधन व शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश और निविदा सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं। ये निविदा सूचना के अभिन्न अंग होंगे।

1. परिभाषाएं -

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - है।

- (i) "देय राशि" से तात्पर्य लाट में संग्रहित मात्रा के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल निविदाकार को देनी होगी। अनुसूचित मात्रा से अधिक मात्रा का निविदा दर पर करों सहित क्रय मूल्य इसमें सम्मिलित होगा।
- (ii) "परिशिष्ट" से तात्पर्य निविदा सूचना के परिशिष्ट से है।
- (iii) "जिला यूनियन" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,
- (iv) "वन मंडलाधिकारी" से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी (सामान्य) से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,
- (v) "संघ" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज(व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।
- (vi) "लाट" से तात्पर्य किसी विशिष्ट गोदाम में भंडारित लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद से है जिसको कि अनुसूची में स्पष्ट किया गया है।
- (vii) "क्रय मूल्य" से तात्पर्य उस राशि से है, जो लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद लाटों की अनुसूचित क्विंटल में दर्शित मात्रा, को नीचे (viii) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो।
- (viii) "क्रय दर" से तात्पर्य निविदाकार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति क्विंटल निविदा दर से है, जो प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो।
- (ix) "देय कर" से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय VAT, आयकर व तत्समय प्रवृत्त अन्य सभी कर, उपकर/ ड्यूटी आदि से है।
- (x) "निविदा दर" से तात्पर्य उस प्रति क्विंटल दर (जिसमें VAT तथा अन्य कोई कर/उपकर सम्मिलित नहीं हैं) से है जो निविदाकार किसी लाट के लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के क्रय के लिए परिशिष्ट -II में दिए गए निविदा पत्र की कंडिका 4 में प्रस्तावित करेगा।
- (xi) "निविदाकार" से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित होंगे।

2. विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर -

(I) शर्त क्रमांक 2(II) के अध्यक्षीन रहते हुए लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर है। इच्छुक निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे उन गोदामीकृत लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के लाटों जिनके लिए वे निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा प्रत्येक लाट में लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में भी अपनी संतुष्टि कर लें। निविदा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समय कोई भी विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही निविदाकार का आफर स्वीकृत हो जाने के पश्चात् छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद की गुणवत्ता में हास के लिए उत्तरदायी होगा तथा लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद क्रेता के उत्तरदायित्व पर गोदाम में भण्डारित रहेगा।

(II) ठेका लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद की अनुसूची में वर्णित क्विंटल में अनुसूचित मात्रा के क्रय/विक्रय के लिए होगा। परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अनुसूचित मात्रा से अधिक है, तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा। अतिरिक्त राशि का भुगतान क्रेता द्वारा लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा। अनुसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के पास सुरक्षित है तथा किशतों में तदनुसार संशोधन किया जावेगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किशतों को मान्य करना होगा।

(III) स्टाक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानान्तरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के अधिकार जिला यूनियन के पास सुरक्षित है।

3. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि-

(I) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में। भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और निविदा पत्र पर सभी भागीदारों द्वारा अथवा उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे। पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी। जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो। मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी मेमोरेण्डम और आर्टिकल आफ एसोसिएशन की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी। अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में कुटुम्ब के सभी सदस्यों के नाम निविदा पत्र में लिखे जायेंगे तथा "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और अपने हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत का उल्लेख करेगा।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ संलग्न करेगा। यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता है, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी। मुख्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(III) अवयस्क, दिवालिया अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जावेंगी ।

(IV) यदि कोई निविदाकार निविदा के खुलने के समय कोई कदाचार करता है या शांति बनाये रखने में बाधा डालता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित कर दी जायेगी एवं उसके द्वारा निविदा के साथ जमा सत्यंकार की राशि अधिहरित कर ली जावेगी तथा ऐसी निविदा के अवैध घोषित किये जाने के कारण संघ को हुई हानि उससे वसूली योग्य होगी और इसके अतिरिक्त ऐसे निविदाकार को ऐसी कालावधि के लिए वन संरक्षक द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा, जो तीन वर्षों तक हो सकती है ।

4. सत्यंकार की राशि -

(I) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि जो कि लॉट में दर्शित लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद की मात्रा के आधार पर निविदा दर से गणना किए गए क्रय मूल्य के 10% के बराबर होगी, के साथ प्रस्तुत की जावेगी । यह सत्यंकार की राशि छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या. के प्रबंध संचालक के पक्ष में, रायपुर में देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जायेगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा अंतिम रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी । प्रस्तावित क्रय मूल्य से कम सत्यंकार की राशि जमा करने पर जहां तक के लाट के लिए मूल्य होगा, मान्य होगी । सत्यंकार की राशि को प्रस्तावित मूल्य के समतुल्य करने के लिए अंतिम लाट से लाटों को कम कर दिया जावेगा, ताकि सत्यंकार की राशि प्रस्तावित मूल्य के अनुरूप हो जावे । भले ही वह अधिकतम दर हो ।

(II) सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में समायोजित की जावेगी ।

(III) उपरोक्तानुसार क्रय मूल्य के 25 प्रतिशत राशि (करो को छोड़कर) के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि निविदाकार के निवेदन पर उसको आबंटित लाट / लाटों के क्रय मूल्य के भुगतान की ओर समायोजित की जावेगी ।

(IV) असफल निविदाकारों की सत्यंकार राशि उन्हें परिणाम घोषित होने के उपरांत वापिस कर दी जावेगी ।

(V) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

5. निविदा भरने की प्रक्रिया -

(I) विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित एक अथवा एक से अधिक लाटों के क्रय के लिए निविदाकार द्वारा निर्धारित निविदा पत्र पूर्ण रूप से भरकर जिला यूनियन कांकेर, जगदलपुर, बिलासपुर, दक्षिण सरगुजा, रायपुर एवं दुर्ग में से किसी भी एक जिला यूनियन कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(II) निविदा केवल संघ की वेबसाइट से डाउनलोड निविदा पत्रों में ही प्रस्तुत की जा सकेगी, अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी ।

(III) निविदाकार को लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के लिए निविदा पत्र में प्रति किं. दर अंको एवं शब्दों में प्रस्तावित करनी होगी, जिसमें कर एवं उपकर सम्मिलित नहीं होंगे । प्रस्ताव में प्रति किंवटल दर दर्शाना होगा, एकमुश्त रकम नहीं । निविदा दर पूर्ण रूपये में दी जावेगी । यदि दर रूपये के अंश में प्रस्तावित की गई तो उसे अगले अधिक पूर्ण रूपये में ही माना जावेगा और निविदाकार को उसे मानना होगा । यदि अंको और शब्दों में दी गई दरों में अंतर हो तो उनमें से उच्चतम दर को ही निविदाकार का प्रस्ताव माना जावेगा ।

(IV) यदि कोई निविदाकार एक लाट के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा दिये गये उच्चतम दर पर ही विचार किया जावेगा और निचली दरों के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये । अंकों एवं शब्दों में अंतर होने पर अधिकतम दर को माना जावेगा ।

(V) यदि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत निविदा में किसी लाट के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट लाट के लिए दिया गया है या किस राशि के लिए है अथवा यदि किसी लाट की पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है अथवा किसी लाट के नाम एवं क्रमांक में अन्तर पाया जाता है तो उस लाट के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(VI) निविदाकार को अपने पत्र में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। इस पते पर पंजीकृत डाक से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे। निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है। यदि निविदाकार के द्वारा अंकित किया गया डाक पता गलत पाया जाता है तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

6. प्रस्तावों को वापस लिया जाना आदि -

(I) निविदाओं का खुलना प्रारम्भ होने के पूर्व कोई भी निविदाकार प्रबंध संचालक जिला यूनियन दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, दक्षिण सरगुजा, जगदलपुर एवं कांकेर में से जहां निविदा प्रस्तुत की गई हो, के समक्ष प्रस्ताव वापसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, उसके द्वारा किसी लाट के लिए दिये गये प्रस्ताव को वापस ले सकेगा। प्रस्ताव वापसी के आवेदन पत्र में लाट के क्रमांक का अंको में एवं शब्दों में उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिनके प्रस्ताव वापस लिये जाना प्रस्तावित है। लाट क्रमांक के अंकों एवं शब्दों में भिन्नता होने पर अथवा उक्त विवरण के अभाव में संबंधित प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(II) निविदाओं का खुलना प्रारम्भ होने के उपरांत कोई भी निविदाकार किसी लाट के लिये अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता। इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट/लाटों के लिए प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि का अधिहरण कर लिया जावेगा।

7. निविदाओं को स्वीकार किया जाना -

(I) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ निविदा पत्र में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव/प्रस्तावों को बिना कारण दशयि स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(II) विभिन्न निविदाकारों को लाटों का आवंटन करने के लिए संघ विभिन्न लाट या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर/अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

(III) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए एक से अधिक निविदाकारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस लाट का आवंटन संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी।

(IV) निविदाकार ऐसे लाट/लाटों जिनके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा।

8. लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद की क्रय राशि का भुगतान, तुलाई एवं परिदान -

(क) क्रेता लाट के क्रय की स्वीकृति जारी होने के 10 दिवस के भीतर लाट के क्रय मूल्य की 25% राशि (करो को छोड़कर) जिला यूनियन में प्राप्ति रसीद लेकर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करेगा। इस राशि में सत्यंकार में जमा राशि सम्मिलित होगी। यदि क्रेता ऐसा करने में असफल रहता है तो क्रेता द्वारा जमा सत्यंकार की राशि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा अधिग्रहित कर लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद को पुनः बिक्री किया जावेगा। पुनः बिक्री राशि पर क्रेता का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि क्रेता लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के पुनः विक्रय/अन्य उपयोग से पूर्व अवशेष करों सहित देय राशि का ब्याज सहित भुगतान कर देता है तो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन क्रेता को लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद परिदान एवं निकासी की अवधि निर्धारण कर अनुमति दे सकते हैं।

(ख) निर्धारित गोदाम में रखे स्वीकृत लाट के ऐसे समस्त लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद का परिदान क्रेता नियुक्ति आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर क्रय मूल्य का करों सहित पूर्ण भुगतान कर तुलाई कराकर लेगा, और लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद की प्राप्ति की पावती जिला यूनियन के पदाधिकारी को इसी अवधि में देगा। तुलाई के समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किये जावेंगे।

(ग) यदि क्रेता नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की तिथि के 30 दिनों के भीतर क्रेता क्रय मूल्य का करों सहित पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है तो क्रेता द्वारा जमा क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत (करो को छोड़कर) राशि प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा अधिग्रहित कर लघु वनोपज/हर्बल उत्पाद को पुनः बिक्री किया जावेगा। पुनः बिक्री राशि पर क्रेता का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि क्रेता लघु वनोपज/हर्बल उत्पाद के पुनः विक्रय/अन्य उपयोग से पूर्व अवशेष करों सहित देय राशि का ब्याज सहित

भुगतान कर देता है तो प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ क्रेता को लघु वनोपज/हर्बल उत्पाद परिदान एवं निकासी की अवधि निर्धारण कर अनुमति दे सकते हैं।

(घ) देय तिथि तक किसी देय राशि का भुगतान न करने पर 0.04 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा। यदि किसी देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी।

9. देय राशि के भुगतान की रीति -

क्रेता देय राशि अर्थात् देय करों सहित क्रय मूल्य का एक मुश्त भुगतान किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन जहां लाट भंडारित है के नाम से उनके मुख्यालय पर निर्धारित तिथि को या उसके पूर्व देय होगा।

10. लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद की निकासी -

क्रेता, देय राशि का भुगतान कर गोदाम से क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद संबंधित जिला यूनियन से प्राप्त कर ले जा सकता है। इस समस्त देय राशि में संघ को इस करारनामे के अंतर्गत देय क्रय मूल्य एवं देय समस्त कर सम्मिलित होंगे। इस अवधि में भुगतान किया गया परन्तु न निकाला गया लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद अधिग्रहित कर पुनः विक्रय किया जायेगा। इस विक्रय राशि पर क्रेता को कोई अधिकार नहीं होगा।

11. करों का भुगतान-

(I) संघ को देय कोई भी तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त कर का भी भुगतान न कर दिया जाए।

(II) क्रेता छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार VAT एवं अन्य करों/ उपकरणों का भुगतान बैंक ड्राफ्ट /डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रबंध संचालक, जिला यूनियन जहां लाट भंडारित है के पक्ष में करेगा जो उनके मुख्यालय पर देय होगा।

(III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान संबंधित जिला यूनियन के जहां लाट भंडारित है के प्रबंध संचालक के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करेगा। यथा स्थिति संघ को देय लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

12. न्यायालय की अधिकारिता-

(I) इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा।

(II) यदि कोई क्रेता संघ के विरुद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के मूल्य में हुई कमी के लिए उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी।

13. इस अधिसूचना में संशोधन जारी किया जा सकता है, नवीन लाट सम्मिलित किये जा सकते हैं या लाटों की मात्रा या अन्य जानकारी में सुधार हो सकता है। अतः निविदा तिथि से पूर्व संघ की वेब साइट www.cgmfped.org का संशोधन हेतु अवलोकन करते रहें।

निविदाकार के हस्ताक्षर
डाक का पूर्ण पता एवं दूरभाष
क्रमांक

.....
.....

(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/लघु वनोपज/2012/- I दिनांक 31.01.2012 का परिशिष्ट)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
ए-25, व्ही.आई.पी.एस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492007

लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के क्रय हेतु निविदा पत्र
(निविदा सूचना शर्त -3)

1. मैं/हम/मेसर्स(नाम अक्षरों में)
आत्मज (नाम
अक्षरों में) ग्राम पोस्ट पुलिस थाना.....
.....तहसीलजिला..... पिन
कोड नं.....एतद् द्वारा NWFP मार्ट एवं अन्य स्थानों के अंतर्गत संग्रहित एवं
गोदामीकृत लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद की मात्रा निविदा सूचना तथा करारनामे की शर्तों तथा निबंधनों के
अनुसार क्रय करने के लिये करार करता हूँ/करते हैं ।
2. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं, कि मैंने/हमने इस निविदा सूचना की शर्तों और
निविदा सूचना में संलग्न करार की शर्तों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/हम उनका
पालन करने का करार करता हूँ/करते हैं, मैंने/हमने उपरोक्त लाट का, जिसके लिये निविदा दी जा
रही है, स्वयं निरीक्षण किया है ।
3. मैं/हम निविदा सूचना के निबंधन तथा शर्तों के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित संलग्न करता हूँ/करते
हैं ।

अ.क्र.	अभिलेख	विवरण	निविदा पत्र के साथ संलग्न पृ.क्रमांक..... सेतक
		क्र. बैंक/डिमांड ड्राफ्ट बैंक का नाम एवं ब्रांच राशि रू. क्रमांक एवं दिनांक	
1.	क्रय मूल्य की 10% के रूप में जमा की गई सत्यंकार की राशि (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 4(I))		
योग कंडिका क्र.(2)			
2.	मुख्यारनामा की/ फर्म के पंजीयन की/फर्म भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र.3)	(संलग्न किये गये अभिलेख का नीचे विवरण दें)	

निविदाकार के हस्ताक्षर.....

4. मैं/हम नीचे दर्शाए विवरण अनुसार भंडारित लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद के लाट/लाटों के लिए प्रति क्वि. क्वय दर जिसमें VAT ,आयकर व अन्य कर/उपकर शामिल नहीं है, प्रस्तावित करता हूँ/करते हैं ।

लघु वनोपजवार लाटों के क्रय हेतु प्रस्तावित दरें

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	लाट क्रमांक	लघु वनोपज का नाम	भंडारित स्थान	भंडारित मात्रा क्वि. में	प्रस्तावित दर (रु. प्रति क्वि.) (कर/उपकर) रहित	
						अंको में	शब्दों में
1.	दक्षिण सरगुजा	RA-8	मरोड़फल्ली	NWFP मार्ट अम्बिकापुर	2.00		
2.	दक्षिण सरगुजा	RA-9	पलाश फूल	NWFP मार्ट अम्बिकापुर	35.00		
3.	दक्षिण सरगुजा	RA-10	अनंतमूल	NWFP मार्ट अम्बिकापुर	34.44		
4.	दक्षिण सरगुजा	RA-11	भिलवा बीज	NWFP मार्ट अम्बिकापुर	6.00		
5.	जशपुर	RHA-2	प्रसंस्कृत शहद	शहद प्रसंस्करण केन्द्र पनचक्की जशपुर नगर	90.00		
6.	बिलासपुर	RB-7	निर्गुण्डी पत्ता	कानन पेंडारी	17.00		
7.	बिलासपुर	RB-8	सरफोक पंचांग	कानन पेंडारी	4.84		
8.	बिलासपुर	RB-9	कागजंधा पंचांग	कानन पेंडारी	13.00		
9.	बिलासपुर	RB-10	इन्द्र जौ	कानन पेंडारी	50.00		
10.	बिलासपुर	RB-11	पलाश फूल	कानन पेंडारी	7.10		
11.	बिलासपुर	RB-12	कोरिया छाल	कानन पेंडारी	54.00		
12.	बिलासपुर	RB-13	अनंतमूल	कानन पेंडारी	4.00		
13.	बिलासपुर	RB-14	धवई फूल	कानन पेंडारी	7.20		
14.	बिलासपुर	RB-15	भिलवा बीज	कानन पेंडारी	1.00		

“11”

15.	बिलासपुर	RB-15	वनतुलसी	कानन पेंडारी	5.00		
16.	बिलासपुर	RB-15	वन जीरा	कानन पेंडारी	2.00		
17.	दुर्ग	RD-2	अपामार्ग पंचांग	NWFP दुर्ग	17.00		
18.	दुर्ग	RD-3	पलाश फूल	NWFP दुर्ग	23.62		
19.	दुर्ग	RD-5	कालमेघ पंचांग	काष्ठागार, बोडला	11.85		
20.	रायपुर	RR-3	आक फूल	NWFP मार्ट रायपुर गोदाम जीरो प्वाइंट	5.21		
21.	रायपुर	RR-4	अपामार्ग पंचांग	NWFP मार्ट रायपुर गोदाम जीरो प्वाइंट	2.12		
22.	रायपुर	RR-5	सरफोक पंचांग	NWFP मार्ट रायपुर गोदाम जीरो प्वाइंट	61.99		
23.	रायपुर	RR-12	निर्गुण्डी पत्ता	NWFP मार्ट रायपुर गोदाम जीरो प्वाइंट	1.90		
24.	रायपुर	RR-13	अमलताश गुदा	NWFP मार्ट रायपुर गोदाम जीरो प्वाइंट	1.75		
25.	रायपुर	RR-14	अमलताश फल	NWFP मार्ट रायपुर गोदाम जीरो प्वाइंट	2.25		
26.	रायपुर	RR-15	कालमेघ पंचांग	कार्यालय रवान जिला रायपुर	12.00		
27.	महासमुंद	RR-16	कालमेघ पंचांग	रायकेरा जिला महासमुंद	3.50		
28.	उदंती	RR-17	कालमेघ पंचांग	ते.प.गोदाम, मैनपुर	15.00		
29.	जगदलपुर	RJ-3	आक फूल	संघ गोदाम, कुरंदी	8.00		

निविदाकार के हस्ताक्षर

“12”

30.	जगदलपुर	RJ-6	बज्रदंती पंचांग	संघ गोदाम, गारेंगा	140.00		
31.	जगदलपुर	RJ-12	मरोड़फल्ली	परपा गोदाम, जगदलपुर	0.54		
32.	जगदलपुर	RJ-13	कालमेघ	संघ गोदाम, कुम्हडाकोट	4.00		
33.	जगदलपुर	RJ-14	वनतुलसी	संघ गोदाम, कुम्हडाकोट	0.84		
34.	जगदलपुर	RJ-15	भिलवा	संघ गोदाम, कुम्हडाकोट	17.83		
35.	जगदलपुर	RJ-16	गिलोय	संघ गोदाम, कुरंदी	61.00		
36.	जगदलपुर	RJ-17	वनजीरा	संघ गोदाम, कुरंदी	2.80		
37.	दंतेवाड़ा	RJ-18	महुआ फूल	स्वावलंबन कोल्ड स्टोरेज, दंतेवाड़ा	163.59		
38.	जगदलपुर	CJ-1	काजू (अप्रसंस्कृत)	स्वावलंबन कोल्ड स्टोरेज, दंतेवाड़ा	210.15		
39.	बीजापुर	TJ-1	आटी इमली	स्वावलंबन कोल्ड स्टोरेज, दंतेवाड़ा	244.20		
40.	दंतेवाड़ा	TJ-2	आटी इमली	स्वावलंबन कोल्ड स्टोरेज, दंतेवाड़ा	1146.68		
41.	सुकमा	TJ-3	आटी इमली	स्वावलंबन कोल्ड स्टोरेज, दंतेवाड़ा	48.52		
42.	जगदलपुर	TJ-4	आटी इमली	इन्द्रावती कोल्डस्टोरेज जगदलपुर	20.75		
43.	जगदलपुर	TJ-5	फूल इमली	इन्द्रावती कोल्डस्टोरेज जगदलपुर	400.00		
44.	कांकेर	RK-2	आक फूल	माकड़ी गोदाम, कांकेर	8.10		
45.	कांकेर	RK-3	अपामार्ग पंचांग	माकड़ी गोदाम, कांकेर	43.04		
46.	कांकेर	RK-5	सरफोक पंचांग	माकड़ी गोदाम, कांकेर	166.305		
47.	कांकेर	RK-6	ईश्वर मूल	माकड़ी गोदाम, कांकेर	32.40		
48.	कांकेर	RK-10	भिलवा बीज	माकड़ी गोदाम, कांकेर	2.17		
49.	दक्षिण कोण्डागांव	TK-1	आटी इमली	गिरीराज कोल्ड स्टोरेज,कोण्डागांव	12.81		
50.	दक्षिण कोण्डागांव	TK-2	आटी इमली	गिरीराज कोल्ड स्टोरेज,कोण्डागांव	15.00		
51.	दक्षिण कोण्डागांव	TK-3	फूल इमली	गिरीराज कोल्ड स्टोरेज,कोण्डागांव	24.81		

निविदाकार के हस्ताक्षर

“13”

52.	उत्तर कोडागांव	TK-4	आटी इमली	गिरीराज कोल्ड स्टोरेज, कोण्डागांव	47.50		
53.	नारायणपुर	TK-5	आटी इमली	स्वावलंबन कोल्ड स्टोरेज, दत्तेवाडा	797.00		
54.	पूर्व भानुप्रतापपुर	HK-1	कच्चा शहद	प्रसंस्करण केन्द्र भानुप्रतापपुर	33.00		
55.	नारायणपुर	HK-2	कच्चा शहद	केन्द्रीय गोदाम नारायणपुर	15.00		

स्थान :-

दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर.....

डाक का पूरा पता

दूरभाष क्रमांक

परिशिष्ट- III

(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/लघु वनोपज/2012/- I

दिनांक 31.01.2012 का परिशिष्ट)

निविदाकार का करारनामा
(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक - 4 (II))

यह करार आज दिनांकमाह.....सन्.....को प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के मार्फत कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. (जिन्हे इसके आगे "संघ" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सन्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स.....आत्मजग्रामपुलिस थानाजिला.....(जिन्हें इसके आगे "निविदाकार कहा गया है", जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सन्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है ।

और

चूँकि संग्रहण सीजन में जिला यूनियन में गोदामीकृत लघुवनोपज/हर्बल उत्पाद का निविदा द्वारा निर्वर्तन करना चाहता है एवं उसके द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना क्रमांक संघ/लघु वनोपज/2012/-I दिनांक 31.01.2012 जारी की गई है और चूँकि विक्रेता उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए संभावित निविदाकारों से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करवाना चाहता है ।

अतएव यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान द्वारा एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. मैं/ हमएतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों, निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में दिये गये निविदा के निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देश तथा उपरोक्त निविदा सूचना से संलग्न शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूँ/करते हैं ।
2. मैं/ हमएतद् द्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि मैं/हम निविदाएं खुलना प्रारम्भ होने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस नहीं लूंगा/लेगे । मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करते है कि मैं/हम निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस लाट/लाटों के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता जिसके/जिनके लिए मैंने/हमने निविदा प्रस्तुत की है ।
3. मेरे/हमारेके द्वारा इस करारनामे की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं/हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूंगा/रहेंगे जैसी कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन वसूली योग्य होगी ।
4. इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना क्रमांक संघ/लघु वनोपज/2012/-I दिनांक 31.01.2012 के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के उपबंधों तथा शर्तों के और जो सब इस करार के भाग होंगे और इसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित है, उपबंधों के अध्यक्षीन है ।
5. मैं/ हमएतद् द्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि मेरे/हमारे विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग अथवा संघ की ना ही कोई राशि बकाया है और न ही मैं/हम /संघ के द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हूँ/हैं ।

“15”

जिसके साक्ष्य में मैंने/हमने संबंधित व्यक्ति/पंजीकृत फर्म/विधिक कम्पनी ने पहले ऊपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगण:-

1. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता

2. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता
की उपस्थिति में

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

डाक का पूरा पता

.....

साक्षीगण:-

1. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता

प्रबंध संचालक

2. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता
की उपस्थिति में

.....